檔號： / /　保存年限：

駐印度代表處經濟組　函

機關地址：No. 34 Paschimi Marg, New Delhi, India
承辦人：王允玠
電話：91-11-4607-7726
Email：ycwang2@sa.moea.gov.tw

受文者：經濟部國際貿易署

發文日期：中華民國114年5月7日
發文字號：竺經字第1140006077號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文　(竺經1140006077_Attach1.pdf)

主旨：有關印度公告「2025年鋁及鋁合金產品品質管制令」事，報請鈞察。

說明：

一、依據印度政府2025年5月5日CG-DL-E-06052025-262927公告辦理（如附件）。

二、依據印度商工部產業及國內貿易推廣部(DPIIT) 2025年5月5日公告，該部依據「印度標準局法」（BIS Act, 2016）第16條及第25條第3項授權，發布「2025年鋁及鋁合金產品品質管制令」（Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2025），並自2025年10月1日起實施。

三、旨揭品質管制令係取代原「2024年鋁及鋁合金產品品質管制令」，內容規定相關鋁製產品須符合印度標準局指定標準，並依「2018年BIS符合性評鑑規則」第二附表第一方案（Scheme I）辦理，獲BIS核發許可後方可加貼標準標誌（Standard Mark）於產品上銷售。

經濟部貿易署

國際貿易署　114/05/07
1147014584

四、該命令規範產品範圍廣泛，涵蓋17項鋁及鋁合金原材料及製品，包括但不限於：灌溉用鋁合金焊接管、連鑄鋁棒、鍛造鋁材、鋁板、鋁箔、鋁線、鋁條、航空用鋁合金等。

五、相關產品對應之印度標準及一般企業、微型企業、小型企業適用起始日如公告表列。依據規定，屬微型及小型企業者，得自2026年1月1日及4月1日起分階段遵循本命令。惟專供出口用途之產品及鋁製品研發用進口樣品（每年不得逾200公斤）不在此限，惟須符合不得商業銷售及作為廢料處理等附帶條件。

正本：經濟部標準檢驗局、經濟部國際貿易署
副本：電子公文交換章 2025/05/07 13:50:54

部國際 騎縫章

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052025-262927
CG-DL-E-06052025-262927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947
No. 1977] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

का.आ. 2021(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किये जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन

मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, तालिका के कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और सामान्य (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा) क्रमशः कॉलम (5) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात एल्यूमीनियम उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर इस शर्त के साथ लागू नहीं होगी कि -

(क) ऐसे आयातित वस्तुओं और सामानों को वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा जाएगा और इनका स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा; और

(ख) विनिर्माता ऐसे आयातित वस्तुओं और सामानों का वर्ष-बार रिकॉर्ड रखेगा और इसे अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अपने लेटर हेड पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद	7092 (भाग 1):1992	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम एलॉय ट्यूब्स – वेल्डेड ट्यूब्स	1 अक्तूबर, 2025	1 अप्रैल, 2025	1 जनवरी, 2026
2		7092 (भाग 2):1987	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम एलॉय ट्यूब्स – वेल्डेड ट्यूब्स			
3		5484:1997	सतत कास्टिंग और रोलिंग द्वारा निर्मित ईसी ग्रेड एल्यूमीनियम रॉड			
4		733:1983	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार, छड़ें और अनुभाग (सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए)			
5		734:1975	सामान्य इंजीनियरिंग			

			प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय, फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग			
6		736:1986	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय प्लेट			
7		737:2008	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय शीट और स्ट्रीप			
8		739:1992	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय के तार			
9		740:1977	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय रिवेट स्टॉक			
10		5082:1998	विद्युत अनुप्रयोगों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार, छड़ें, ट्यूब, अनुभाग, प्लेट और शीट			
11		16011:2012	फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय फॉयल			
12		17682:2021	एल्यूमीनियम कम्पोजिट पैनल			
13		1285:2002	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय - सामान्य			

			इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए एक्सट्रूडेड राउण्ड ट्यूब और हॉलो सेक्शन			
14		2067:1975	विद्युत प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम तार			
15		21:1992	बर्तनों के निर्माण के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय			
16		1254:2007	कॉरूगेटेड एल्यूमीनियम शीट			
17		7902:2001	एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमीनियम एलॉय फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग (एलॉय 24343)।			

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं.पी-29026/7/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2025

S.O. 2021(E).— In exercise of the powers conferred section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force with effective from the 1st day of October, 2025.

2. **Compulsory use of Standard Mark.—** Goods or articles specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table and for general (other than micro and small enterprises) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under column (5) respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply to the goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Aluminium products per year with the condition that,—

(a) such imported goods and articles shall not be sold commercially, and shall be disposed of as a scrap; and

(b) the manufacturer shall maintain year-wise record of such imported goods or articles and furnish the same to the Central Government on in its letter head duly signed by its authorised signatory.

3. **Certification and enforcement authority.—**The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for contravention**. — Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for micro enterprises	Date of implementation for small enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aluminium and aluminium alloy products	7092(Part1):1992	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes –welded tubes	1st October, 2025	1st April, 2026	1st January, 2026
2.		7092(Part2):1987	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes –welded tubes			
3.		5485:1997	EC grade aluminium rod produced by continuous casting and rolling			
4.		733:1983	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods and sections (for general engineering purpose)			
5.		734:1975	Wrought aluminium and aluminium alloys, forging stock and forgings for general engineering purposes.			
6.		736:1986	Wrought aluminium and aluminium alloy plate for general engineering purposes			
7.		737:2008	Wrought aluminium and aluminium alloy sheets and strip for general engineering purposes			
8.		739:1992	Wrought aluminium and aluminium alloy wire for general engineering purposes			
9.		740:1977	Wrought aluminium and aluminium alloy rivet stock for general engineering purposes.			
10.		5082:1998	Wrought aluminium			

			and aluminium alloy bars, rods, tubes, sections, plates and sheets for electrical appliances			
11.		16011:2012	Aluminium and aluminium alloy foil for pharmaceutical packaging			
12.		17682:2021	Aluminium composite panel			
13.		1285:2002	Wrought aluminium and aluminium alloys-extruded round tube and hollow section for general engineering purpose			
14.		2067:1975	Wrought aluminium wire for electrical purposes			
15.		21:1992	Wrought aluminium and aluminium Alloys for manufacture of utensils			
16.		1254:2007	Corrugated aluminium sheet			
17.		7902:2001	Aluminium alloy forging stock and forgings (alloy 24343) for aerospace appliances			

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.06 15:38:33 +05'30'